न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर
जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी श्रीमती भावना सिंह (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्याः— 24 / 2021
दायर दिनांकः— 22 / 07 / 2021
निर्णय दिनांकः— 05 / 07 / 2022

उनवान

1. कमला पुत्री किशोर पत्नी शंकर गाड़री निवासी चाकुड़ी तहसील भूपालसागर
2. भूरी पुत्री किशोर पत्नी लालू गाड़री निवासी चाकुड़ी तहसील भूपालसागर

वादी

बनाम

1. मांगू पिता किशोर गाड़री निवासी चाकुड़ी तहसील भूपालसागर
2. मोहन पिता किशोर गाडरी निवासी चाकुड़ी तहसील भूपालसागर
3. जीतू पिता किशोर गाडरी निवासी चाकुड़ी तहसील भूपालसागर
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, भूपालसागर
5. उप पंजीयक अधिकारी, भूपालसागर
6. पटवारी, पटवारी हल्का, रायपुरियाकलां तहसील भूपालसागर

प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अंतर्गत धारा—212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति :— 1. श्री पवन जायसवाल
2. श्री कन्हैयालाल माली

: : निर्णय : :

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम चाकुडी पटवार हल्का रायपुरिया कला तहसील भूपालसागर की हाल खाता सं. 09 आराजी नं. 866, कुल किता 01 कुल रकबा 0.04 हैक्टयर खाता सं. 109 आराजी नं. 257, 258, 259 कुल किता 03 कुल रकबा 0.86 हैक्टयर खाता संख्या 185 आराजी नं. 1134 कुल किता 01 कुल रकबा 0.70 हैक्टयर खाता संख्या 06 के आराजी नं 448, 864, 881, 882, 887, 898 कुल किता 06 कुल रकबा 0.84 हैक्टयर खाता संख्या 104 आराजी नं. 304, 316, 317, 318 कुल किता 04 कुल रकबा 0.2.11 हैक्टयर खाता संख्या 07 आराजी नं. 1121, 1131, 1132, 420, 450, 632, 790, 791, 853, 777, 891, 892, 965, 968, 969, 989, 991, 992 कुल किता 18 कुल रकबा 0.4.75 हैक्टयर भूमि स्थित है जो मौरूसी मिल्कीयत होकर हम प्रार्थीयागण अपने हक हिस्से काबिज [illegible] करते है। जमाबंदी संवत् 2076—2019 का अवलोकन किया गया था और खाता संख्या 109, 185 [illegible] 07 प्रार्थीयागण का 1/20 हिस्सा निहित होना चाहिए लेकिन राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थीगण [illegible] के नाम 1/12 दर्ज होने से अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थीयागण के कब्जे में आराजीयात [illegible] खुर्द बुर्द करने की धमकी देते है व अनावश्यक रूप से प्रार्थीयागण के हिस्से में दखलन्दाजी करते है। अतः इनके विरूद्ध मौके व राजस्व रेकार्ड अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित कराना चाहती है। अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान करने

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawna Singh
Date: 2022.07.12 12:21:29 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

से अप्रार्थीगण को किसी प्रकार की हानि नहीं होगी परन्तु जारी नहीं होने पर प्रार्थीयागण को अपूर्णनीय क्षति होगी। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया, अप्रार्थीगण को सम्मन जारी कर तलब किया गया। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र एवं वकील प्रार्थी की अन्तरिम बहस पर दिनांक 22.07.2021 को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई।

अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की ओर से वकील अप्रार्थी ने वकालतनाम मय जवाब दिनांक 24.08.2021 को तथा अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से जवाब दिनांक 23.09.2021 को पेश किया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत जवाब में निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात में कोई हक हिस्सा नहीं है न ही प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात के किसी भूभाग पर पूर्व में कब्जा रहा है, न ही वर्तमान में कब्जा है। अप्रार्थीगण वर्तमान जमाबंदी अनुसार अपने–अपने हक हिस्से पर काबिज हो काश्त कर रहे हैं, सबूत में हाल जमाबंदी की प्रमाणित नकले संलग्न है। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कोई वारिसान सजरा उल्लेखित नहीं किया है। प्रार्थीना पत्र में वर्णित आराजियात में प्रार्थीगण का मौके पर कोई कब्जा नहीं है, इसलिए प्रार्थीगण को बेदखली की धमकियां देना सरासर गलत अंकित करवाया है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात में कभी भी काश्त नहीं की है, न ही प्रार्थीगण का कभी प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात में कब्जा रहा है जबकि अप्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार होकर वर्तमान में मक्का की फसल बो रखी है, इस कारण प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है, अपूरणीय क्षति अप्रार्थी के पक्ष में बनती है। पत्रावली बहस हेतु नियत की जाकर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई, प्रस्तुत जवाब एवं वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में सम्पूर्ण तथ्यों एवं बहस के आधार पर प्रार्थीगण के प्रार्थना के तथ्य अनुसार सुविधा सन्तुलन साबित नहीं कर पाऐ है तथा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी एवं न्यायिक दृष्टांत से प्रकरण अप्रार्थीगण के पक्ष में पाया जाता है तथा उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण के पक्ष में ऐसा कोई तथ्य नहीं पाया जाता है कि प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा को जारी रखा जावे। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा किसी प्रकार से प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 05.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भावना सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawna Singh
Date: 2022.07.12 12:21:29 IST
Reason: SelfAttested